

कोटा हादसे के बाद पांच भवन मालिकों को अवैध निर्माण हटाने का नोटिस जारी

नगर निगम कोटा ने असुरक्षित और निर्माणाधीन भवनों को चिन्हित करने का काम शुरू किया

कोटा, (निसं)। इंद्र विहार में शनिवार रात दुर्घटनाग्रस्त हुए भवन के आसपास की पांच इमारतों को असुरक्षित मानते हुए नगर निगम ने रविवार को इन भवन मालिकों को भवन को तुरन्त खाली करते हुए दो दिन में अवैध निर्माण हटाने का नोटिस जारी किया है। इसके अलावा संपागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल के निर्देशों के बाद रविवार को शहर में विभिन्न स्थानों पर जेसीबी, पोकलेन तथा अन्य बड़ी मशीनों से पूर्व में बनी इमारतों को तोड़ने और बेसमेंट बनाने का काम निगम की टीमों ने रूकवा दिया। गौरतलब है कि कोटा में शनिवार देर रात एक रेस्टोरेंट की बिल्डिंग अचानक भरभराकर गिर गई थी। इस हादसे में एक कोंचिंग छात्र एवं एक बालक की मौत हो गई, जबकि 11 अन्य लोग घायल हो गए थे।

■ ‘शनिवार रात दुर्घटनाग्रस्त हुए भवन के पास प्लॉट संख्या एस-5, एस-6, एस-65, एस-67 और एस-68 में बने भवन में अवैध निर्माण पाया गया है’

■ कोटा नगर निगम की टीमों ने शहर में विभिन्न स्थानों पर जेसीबी, पोकलेन तथा अन्य बड़ी मशीनों से पूर्व में बनी इमारतों को तोड़ने और बेसमेंट बनाने का काम रूकवाया

आयुक्त ओमप्रकाश मेहरा ने बताया कि शनिवार रात दुर्घटनाग्रस्त हुए भवन के पास प्लॉट संख्या एस-5, एस-6, एस-65, एस-67 और एस-68 में बने भवन में अवैध निर्माण पाया गया है। इनमें से एस-68 में निर्मित भवन असुरक्षित भी हो गया है। ऐसे में इन सभी भूखण्ड मालिकों को तुरन्त प्रभाव से भवन खाली करते हुए दो दिन में अवैध निर्माण हटाने का

नोटिस जारी किया गया, यदि दो दिन में भवन मालिकों की ओर से अवैध निर्माण नहीं हटते हैं तो निगम की ओर से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

आयुक्त मेहरा ने बताया कि संपागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल द्वारा रविवार को आयोजित बैठक में दिए गए निर्देशों के बाद निगम के सभी अभियंताओं को अपने-अपने क्षेत्रों में जीर्ण-क्षीर्ण एवं असुरक्षित

भवनों तथा निर्माणीधीन इमारतों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसका सर्वे के दौरान न्यू कॉलोनी गुमानपुरा में दो स्थानों पर पूर्व निर्मित भवनों को जेसीबी द्वारा तोड़े जाने तथा विज्ञान नगर क्षेत्र में दो स्थानों पर पोकलेन मशीन से बेसमेंट खोदे जाने की बात सामने आई। इस पर चारों ही जगह काम रूकवा कर भवन मालिकों को स्वीकृति के बिना काम पुनः प्रारंभ नहीं करने के लिए पाबंद किया गया है।

उन्होंने बताया कि सभी अभियंताओं को निर्देशित किया गया है कि वे अगले दो दिन में अपने-अपने क्षेत्रों में जीर्ण-क्षीर्ण भवनों को चिन्हित करें। साथ ही निर्माणाधीन भवनों में भू-स्वामित्व, अवैटन की श्रेणी तथा भवन निर्माण स्वीकृति की जांच करें। अनियमितता पाए जाने या स्वीकृत

नक्शे के विपरीत कार्य करने पर निर्माण को तत्काल रूकवा दें।

चेतावनी देते ही हटने लगे अतिक्रमण:- उधर, दूसरी ओर निगम के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने रविवार को इंद्र विहार क्षेत्र में सभी दुकानदारों 24 घंटे में अपने अतिक्रमण स्वयं हटाने की चेतावनी दी। निगम की चेतावनी का तत्काल असर भी दिखाई दिया और कई दुकानदारों ने शाम होते-होने अपने अतिक्रमण हटा लिए। आयुक्त ओमप्रकाश मेहरा ने बताया कि इंद्र विहार क्षेत्र में बड़ी संख्या में दुकानदारों ने अपनी दुकान के आगे टीनशेड करके और सामान रखकर अतिक्रमण कर रखा है। क्षेत्र में मुनादी करते हुए इन सभी को अपने-अपने अतिक्रमण हटाने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया है।

सिंगापुर में नौकरी दिलाने के नाम पर 4.40 लाख की धोखाधड़ी

थाने में युवक ने कोर्ट के जरिए मुकदमा दर्ज करवाया

■ परिचित ने युवक से रुपए लेकर सिंगापुर भेज दिया, लेकिन वहां उसे नौकरी नहीं मिली और भूखे रहने की नौबत आ गई

■ सिंगापुर में वेयरहाउस में काम के हर महीने दो लाख रुपए सैलरी का झांसा दिया था

सीकर, (निसं)। सीकर के बलारां थाना इलाके में सिंगापुर में नौकरी के नाम पर 4.40 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। परिचित ने युवक से रुपए लेकर उसे सिंगापुर में नौकरी करने के लिए भेज दिया। लेकिन वहां पर उसे नौकरी नहीं मिली। परिचित ने रुपए भी नहीं लौटाए और अब धमकी दे रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जानकारी के अनुसार सीकर के बलारां पुलिस थाने में खोंसवार निवासी हेमंत कुमार ने कोर्ट के जरिए मुकदमा दर्ज करवाया कि वह बेरोजगार है। अगस्त 2025 में उसके परिचित निशांत कुमार ने हेमंत को कॉल करके कहा कि मैं तुम्हें सिंगापुर में वेयरहाउस में काम दिलवा दूंगा, जहां तुम्हें हर महीने दो लाख रुपए सैलरी मिलेगी, लेकिन इस काम के लिए पहले तुम्हें 5 लाख रुपए देने होंगे।

हेमंत अपने परिचित निशांत कुमार की बातों में आ गया और उसे हां कर दी। इसके बाद हेमंत ने निशांत कुमार

को 4.40 रुपए दे दिए। फिर उसे 3 अक्टूबर 2025 को सिंगापुर बुला लिया। सिंगापुर जाने के बाद हेमंत को वेयरहाउस में कोई काम नहीं मिला। जब उसने निशांत कुमार से बात की तो वह टाइम निकालता रहा।

निशांत कुमार सिंगापुर में हेमंत को अकेला छोड़कर खुद इंडिया आ गया। सिंगापुर में काम नहीं मिलने की वजह से हेमंत के भूखे रहने की नौबत आ गई। उसके लिए वहां पर किराया चुकाना भी मुश्किल हो गया। आखिर में परेशान होकर 4 नवंबर 2025 को घरवालों से बात करके हेमंत वापस इंडिया आ गया। यहां आने के बाद जब उसने निशांत कुमार से रुपए

वापस मांगे तो निशांत ने कहा कि 15 से 20 दिन में रुपए वापस लौटा देगा, लेकिन इसके बाद पैसे देने से ही मना कर दिया और कहा कि तुम्हें जो करना है वह कर लो मैं तो एक रुपया भी नहीं दूंगा।

हेमंत ने पुलिस को बताया कि निशांत और उसके पिता बार-बार मुझे और मेरे पिता को धमकी दे रहे हैं कि हमारे खिलाफ अगर रिपोर्ट दर्ज करवाई तो ठीक नहीं रहेगा। हमारी बड़े-बड़े नेताओं से अच्छी जान-पहचान है। हमारा कुछ भी नहीं होगा और यहां पर आप लोगों का रहना मुश्किल कर दूंगा। अब बलारां पुलिस मामले की जांच कर रही है।

डूंगरपुर में रतनपुर बॉर्डर पर 7.50 लाख की अवैध शराब जब््त

सिलाई मशीन, गैस चूल्हे की आड़ में शराब की तस्करी हो रही थी, ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया

डूंगरपुर, (निसं)। डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर एक ट्रक से 7.50 लाख रुपए मूल्य की 101 कार्टन अंग्रेजी शराब जब््त की है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। यह शराब सिलाई मशीन, गैस चूल्हे और अन्य सामान की आड़ में ले जाई जा रही थी।

पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने

बताया कि जिले में अवैध शराब तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान “ऑपरेशन स्वच्छता” चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। बिछीवाड़ा थानाधिकारी कैलाश सोनी के अनुसार रविवार को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर एसआई अब्दुल मुनाफ के नेतृत्व में एक टीम ने राजस्थान-गुजरात

के रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी की। उदयपुर की तरफ से आ रहे एक ट्रक को रोका गया। ड्राइवर ने बताया कि ट्रक में सिलाई मशीन, गैस चूल्हे और अन्य घरेलू सामान भरा है। मुखबिर की सूचना पुछ्ठा होने के कारण पुलिस ने ट्रक की गहन तलाशी ली। तलाशी के दौरान सामान की आड़ में छिपाकर रखे गए विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब के 101

कार्टन बरामद हुए। पुलिस ने मौके से शराब से भरे कार्टन और तस्करी में प्रयुक्त आईसर्न ट्रक को जब््त कर लिया। ड्राइवर दरियाब सिंह (46) पुत्र लखा सिंह रावत निवासी बिलियावास, जवाजा, जिला ब्यावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

सड़क हादसे में महिला की मौत

टोंक, (निसं)। देवली थाना क्षेत्र के जयपुर रोड स्थित दौलता मोड़ पर एक सड़क हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई। हादसे में महिला का बेटा भी घायल हो गया। घटना में एक मिनी कंटेनर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी थी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार नेहला देवी (56) निवासी गणेशपुरा (थाना सरवाड) जो अपने पुत्र ओमप्रकाश गुर्जर के साथ पनवाड से लौट रही थी, तभी अंबेडकर छात्रावास के पास दौलता मोड़ पर एक मिनी कन्टेनर की टक्कर से बाइक अस्थिर होकर गिर गई। इस हादसे में नेहला देवी की मौके पर ही मौत हो गई।

मौके पर प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महिला के सिर में गंभीर चोट आने से उनकी तत्काल मौत हो गई। बाइक चला रहे उनके पुत्र ओमप्रकाश को मामूली चोटें आई हैं, जिनका प्राथमिक उपचार कराया गया। सूचना पर पहुंची देवली पुलिस ने घटनास्थल से मृतका के शव को मोर्चरी में रखवाया। घटना के बाद पुलिस ने कन्टेनर को जब््त कर मामले की जांच शुरू की है।

पेड़ कटाने पर दोषियों पर कार्रवाई की मांग

भीलवाड़ा, (निसं)। आरके कॉलोनी स्थित सी-सेक्टर उद्यान में हरे-भरे विशालकाय पेड़ों को कटाई को लेकर पर्यावरणविद् बाबूलाल जाजू ने चिंता व्यक्त करते हुए इसे गंभीर पर्यावरण अपराध बताया है। उन्होंने कहा कि बिना वैध अनुमति के सार्वजनिक उद्यान में पेड़ों की कटाई करना कानूनन अपराध है और ऐसे मामलों में दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए।

पर्यावरणविद् बाबूलाल जाजू ने कहा कि इस मामले में दोषियों को तुरंत चिन्हित कर उस कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक हरियाली को नुकसान पहुंचाने का साहस न कर सके। जाजू के अनुसार वर्षों पुराने विशालकाय पेड़ केवल हरियाली नहीं होते, बल्कि इनमें अनेक पक्षियों का भी बसेरा होता है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की कि कटो गए पेड़ों के स्थान पर पांच गुने नए पौधे लगाकर उनका रखरखाव करें और इसकी राशि पेड़ कटाने वाले दोषियों से वसूल की जाए।

प्रेम प्रसंग में पड़ोसी ने युवक की हत्या की

युवक बताया कि मृतक और उसकी भाभी के बीच अवैध संबंध थे

■ शव को सड़क किनारे खाई में फेंका, दो दिन बाद आरोपी ने थाने में सरेंडर किया

डूंगरपुर, (निसं)। सागवाड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में प्रेम प्रसंग के चलते पड़ोसी ने एक युवक की हत्या कर दी। शव को सड़क किनारे खाई में फेंक दिया। घटना के दो दिन बाद रविवार को आरोपी ने थाने में जाकर सरेंडर करते हुए वारदात की जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी को डिटेन कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

सागवाड़ा थानाधिकारी मनीष खोईवाल ने बताया कि रविवार सुबह दिनेश पाटीदार थाने पहुंचा। दिनेश ने बताया कि उसने गांव के उसके पड़ोसी युवक तिलेश पाटीदार की हत्या कर दी है और शव घाटी में सड़क किनारे खाई में फेंक दिया है।

हत्या के कारण के बारे में जब पुलिस ने युवक से पूछा तो उसने बताया कि तिलेश पाटीदार और उसकी भाभी के बीच अवैध संबंध थे। जिसके चलते

उसने 6 फरवरी को उसकी हत्या कर दी और शव को खाई में फेंक दिया था। युवक द्वारा सरेंडर करने पर पुलिस ने उसे डिटेन कर लिया। उसके बताए अनुसार पुलिस काली घाटी पहुंची और खाई से शव को बरामद किया। जिसकी पहचान पुलिस ने तिलेश के रूप में की। घटना की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे। वहीं, एफएसएल की टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए, जिसके बाद पुलिस ने शव को मौके से उठवाकर सागवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

टोंक में 13 लाख का डोडा-पोस्ट और स्मैक जब््त , छह गिरफ्तार

तीन पुलिस थाना क्षेत्रों से एक कार और दो बाइक जब््त की है

टोंक, (निसं)। जिले को नशा मुक्त करने की दिशा में कार्रवाई करते हुए जिला स्पेशल टीम ने शनिवार को तीन पुलिस थाना क्षेत्रों में 13 लाख रुपए कीमत का अवैध मादक पदार्थ डोडा-पोस्ट और स्मैक पकड़ी है। टीम ने छह आरोपियों को गिरफ्तार कर एक कार और दो बाइक जब््त की है।

जिला स्पेशल टीम प्रभारी

■ दूनी, देवली और डिगगी थाना क्षेत्र में पुलिस की कार्रवाई

ओमप्रकाश चौधरी ने बताया कि इस कार्रवाई में दूनी थाना क्षेत्र में राजपहल के पास एक क्रेटा कार के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार कर कार से करीब सात लाख रुपए कीमत का 45 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा-पोस्ट जब््त किया है। इसी तरह देवली थाना क्षेत्र में जयपुर चुंगी नके से नासिरदा रोड पर एक महिला से बाजार कीमत करीब पांच लाख रुपए का 25 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक जब््त की है। साथ ही खरीद फरोख्त के 8460 रुपए बरामद किए हैं। वहीं डिगगी थाना क्षेत्र में उपतहसील ऑफिस के पीछे तीन



टोंक में पुलिस टीमों ने कार से अवैध डोडा-चूरा जब््त किया।

आरोपियों के कब्जे करीब से एक लाख रुपए की अवैध मादक पदार्थ 5.11 ग्राम स्मैक जब््त कर दो बाइक बरामद की है। पुलिस थाना दूनी, देवली व डिगगी में अलग- अलग 3 प्रकरण एनडीपीएस एक्ट में दर्ज कर आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इस कार्रवाई में दूनी थाना क्षेत्र से रामरतन पुत्र अमराव व नरेन्द्र सिंह उर्फ गज्जू पुत्र नाथूसिंह दोनों निवासी जोरावरपुरा, पुलिस थाना बोराना

जिला अजमेर को गिरफ्तार किया है। इसी तरह डिगगी थाना क्षेत्र से राकेश पुत्र रामराय जाट निवासी अरण्या थाना, संजय पुत्र बद्रीलाल यादव निवासी नैनरथा थाना फागी जिला जयपुर व नितिन पुत्र शास्त्री प्रकाश शर्मा निवासी डिगगी को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा देवली थाना क्षेत्र से डीएसटी ने एक महिला को अवैध मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया है।

अवैध डोडा-चूरा से भरी कार जब््त

उदयपुर, (कासं)। शहर के प्रताप नगर थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान लाखों का अवैध डोडा-चूरा से भरी कार जब््त कर प्रकरण दर्ज किया है।

जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर प्रताप नगर थानाधिकारी पूरणसिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में एसआई अशोक कुमारसिंह, एसएसआई सुनील विश्नोई मय टीम मुखबर से मिली सूचना के आधार पर डबोक से अंबेरी की तरफ अवैध डोडा-चूरा से भरी कार आने की सूचना के आधार पर मौके पर पहुंच कर नाकाबंदी शुरू की। इस दौरान आकांश को रोकने पर चालक साथी भगा ले गया तथा आगे जा कर अंधेरे में कार छोड़ कर भाग गए। वहीं पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर तलाशी ली तो कार में 25 कट्टों में 456 किलोग्राम अवैध डोडा-चूरा भरा हुआ एवं दो अन्य वाहनों की नंबर प्लेटें मिली। पुलिस ने अवैध डोडा-चूरा मय वाहन जब््त कर प्रकरण दर्ज कर तस्करी की तलाश शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई की।

उदयपुर में पूर्व पार्षद की सड़क हादसे में मौत

अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हादसा हुआ

उदयपुर, (कासं)। उदयपुर शहर के भूपालपुर थाना क्षेत्र में सेवाश्रम फ्लाई ओवर के नीचे बीएन कॉलेज के सामने शनिवार रात हुए सड़क हादसे में भाजपा के पूर्व पार्षद हेमंत बोहरा पुत्र मदनलाल की मौत हो गई। हेमंत उदयपुर नगर निगम के वार्ड 38 के पूर्व पार्षद थे।

जानकारी के अनुसार हेमंत बोहरा शनिवार रात करीब 10.15 बजे शहर के सुरजपोल से सेक्टर तीन स्थित अपने घर की तरफ जा रहे थे। तभी बीएन कॉलेज से पहले गोविंदपुरा-सुभाषनगर मार्ग के

■ बोहरा रात को मित्रों से मिलकर घर के लिए निकले थे उन्हें किस गाड़ी ने टक्कर मार दी, इसका पता नहीं चल पाया

बाहर किसी वाहन की टक्कर से गंभीर घायल हो गए। उन्हें सिर में गंभीर चोटें आईं। बोहरा रात को अपने कुछ मित्रों से मिलकर घर के लिए निकले थे। उन्हें किस

रुपम गोल्ड शोरूम लूट मामले मुख्य सरगना गिरफ्तार

राजसमंद, (निसं)। एसपी ममता गुप्ता के नेतृत्व में साल 2023 के कांकोरली के बहुचर्चित रूपम गोल्ड शोरूम लूट मामले में मुख्य सरगना सुबोध सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी को ओडिशा की संधलपुर जेल से प्रोडक्शन वॉरंट पर राजसमंद लाया गया। आरोपी को विशिष्ट न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।

पुलिस के अनुसार आरोपी सुबोध सिंह पर लूट और हत्या समेत विभिन्न धाराओं में देशभर में 30 से अधिक मामले दर्ज हैं। वह मयपुरम् गोल्ड लूट मामले में संधलपुर जेल में बंद था। जहां से पुलिस ने उसे प्रोडक्शन वॉरंट पर गिरफ्तार किया। प्रकरण में पुलिस पहले ही बिहार निवासी कुतिक कुमार उर्फ किट्टू पासवान और मनीष कुमार उर्फ राहुल को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर लूटे गए सोना, चांदी और नकदी की बरामदगी का प्रयास करेगी। गौरतलब है कि 23 अगस्त 2023 को दिनदहाड़े चार बदमाशों ने पिफ्टल की नौक पर रूपम गोल्ड शोरूम से करीब डेढ़ किलो सोना, डेढ़ किलो चांदी और 18 लाख रुपये नकद लूट लिए थे, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है।

श्रीगंगानगर, (निसं)। जिला अस्पताल के स्टाफ की गुंडागर्दी का कथित तौर पर गंभीर मामला सामने आया है। एक नर्सिंगकर्म ने पीएमओ डॉ. सुखपाल बराड़ को उनके ही ऑफिस में जाकर जान से मारने तक की धमकी दे डाली। यह घटना ओपीडी समय के दौरान हुई। जिस समय नर्सिंगकर्म पीएमओ कार्यालय कक्ष में आया, उस समय अन्य डॉक्टर स्टाफ भी मौजूद था। पीएमओ द्वारा अस्पताल चौकी प्रभारी हैड कांस्टेबल फूलसिंह को परिवाद देकर राजकार्य में बाधा डालने और जान से मारने की धमकियां देने के आरोप लगाए हैं। हालांकि सदर पुलिस को भी धमकी के दौरान भी एफआईआर दर्ज नहीं की है। पीएमओ डॉ. सुखपालसिंह बराड़ ने इस संबंध में विधायक जयिंदर बिहाणी तथा कलेक्टर डॉ. मंजू को तत्काल ही सूचित किया। एमएलए और कलेक्टर ने आरोपी नर्सिंगकर्म कुलदीप राय के खिलाफ मामला दर्ज करवाने की हिदायत दी।

इधर सामने आया है कि आरोपी कुलदीप नर्सिंग यूनियन और अपने परिवार के राजनीतिक संपर्कों के कारण अधिकारियों के साथ ऐसा व्यवहार करता रहा है। अब भी नर्सिंग यूनियन की ओर से मामले में राजीनामा करवाए

श्रीगंगानगर जिला अस्पताल में नर्सिंगकर्मों ने पीएमओ को जान से मारने की धमकी दी

■ पीएमओ ने अस्पताल चौकी में परिवार देकर राजकार्य में बाधा डालने और जान से मारने की धमकियां देने के आरोप लगाए

जाने का दबाव बनाए जाने की आशंका है।

पीएमओ डॉ. सुखपाल बराड़ ने बताया कि नर्सिंगकर्म कुलदीप राय का व्यवहार पूर्व में भी विवादस्पद रहा है। उसने नर्सिंग अधीक्षक किशोर विनायक से मौका नसीब करने के दौरान भी बदसलूकी की थी। बाद में उनके ऑफिस में आकर भी धमकाया कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की किसी भी हिम्मत नहीं है। अगर नोटिस भी दिया तो जान से मार देगा। इससे नर्सिंग अधीक्षक किशोर विनायक घबरा गए और उन्होंने पूरी बात बताई।

पीएमओ ने बताया कि कुलदीप को तीन दिन तक मौका दिया कि वह अपनी गलती मना ले और लिखित में माफीनामा प्रस्तुत कर दे, लेकिन उसने ऐसा न करके उलटा राजकार्य में बाधा डाली और जान से मारने की खुलेआम ही धमकी दे दी। इस संबंध में चौकी

अज्ञात ने दुकान में आग लगाई

सादुलपुर, (निसं)। राजगढ़ तहसील के गांव जनाऊ खारी में शनिवार व रविवार की आधी रात को अज्ञात आरोपियों ने गांव में बनी रोहताश पुत्र ओमप्रकाश शर्मा निवासी जनाऊ खारी की दुकान के ताले तोड़कर आग लगी दी। ग्रामीणों के अनुसार अज्ञात आरोपियों द्वारा रात्रि करीब 1.45 मिनट पर आगजनी की वारदात को अंजाम देना बताया जा रहा है।

जनाऊ खारी निवासी सामाजिक कार्यकर्ता विरेन्द्र यूनिां ने बताया कि रोहताश पुत्र ओमप्रकाश शर्मा की दुकान के अन्दर करीब 4 से 5 लाख रुपये का सामान था, जो कि जलकर राख हो गया। जैसे ही आगजनी की वारदात सामने आने पर आगजनी की भेंट चढ़ी दुकान के आसपास ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई, जिन्होंने मौकी मशकत के बाद आगजनी पर काबू पाया।

प्रभारी फूलचंद और एसएचओ सुभाषचंद्र से बात करने के प्रयास किए लेकिन बात नहीं हो पाई। यह मामला जिला अस्पताल में तीन-चार दिन से चल रहा है। आरोपी नर्सिंगकर्म कुलदीप राय की मेल मेडिकल ए वार्ड में दोपहर शाम की पारी में ड्यूटी थी। उस समय पीएमओ को किसी ने शिकायत की कि मेल मेडिकल वार्ड में लपके मरीज की फाइल देख रहे हैं।

इस पर पीएमओ ने नर्सिंग अधीक्षक किशोर विनायक को मौके पर भेजा। नर्सिंग अधीक्षक मेल मेडिकल वार्ड में पहुंचे तो नर्सिंग प्रभारी की सीट पर दो युवक बैठे मरीज को फाइल का निरीक्षण कर लिखा-पढ़ी कर रहे थे। जिनको वार्ड में नर्सिंग स्टाफ कार्यालय में पकड़ा, व जिला अस्पताल से बाहर के मेडिकल स्टोर, पैथ लैब अथवा निजी अस्पताल में काम करते हैं। इसकी रिपोर्ट पर पीएमओ ने नर्सिंगकर्म कुलदीप को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। इससे नर्सिंगकर्म कुलदीप नाराज हो गया और पीएमओ कक्ष में पहुंचकर खुलेआम उनको जान से मारने की धमकी दे डाली और उसने हाथापाई करने की कोशिश की। उस समय मौजूद डॉक्टरों और कर्मचारियों ने बीच-बचाव कर स्थिति को संभाला।